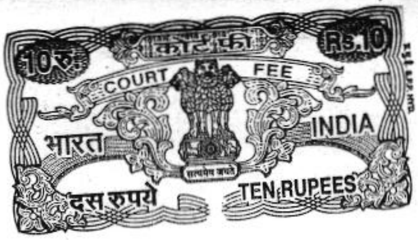

18

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक ________/2016 निगरानी निग-1766-PBR-16

राधेश्याम पिता श्री कालूरामजी, आयु 55 वर्ष, जाति कुलमी (पाटीदार), व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम नापाखेड़ी, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

---- आवेदक / निगरानीकर्ता

श्री आर. सी. परिहार अभि. द्वारा उज्जैन केन्द्र पर दिनांक 31-5-16 को प्रस्तुत

विरूद्ध

भगवानसिंह पिता मोहनसिंहजी, आयु 55 वर्ष, जाति राजपूत, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम कंथारखेड़ा, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

----- अनावेदक / प्रत्यर्थी

<u>माननीय अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 14/A-2/2015-16 में पारित आदेश [redacted] के पालन में किया गया सीमांकन दिनांक 26-04-2016 से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959.</u>

(आर.सी. परिहार)

माननीय महोदय,

प्रार्थी/आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र अंदर अवधि सेवा में सादर प्रस्तुत है :-

-:: <u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> ::-

(1) यह कि अनावेदक भगवानसिंह पिता मोहनसिंहजी, निवासी ग्राम

राधेश्याम / भगवानसिंह

XXIX(a)-BR(H)-11

(18) (19)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R1766 / PBR / 16 जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31/7/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार खाचरोद के प्रकरण क्रमांक 14/A-2/15-16 में पारित आदेश दिनांक 26.4.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.19 को कलेक्टर उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	